



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1575]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 20, 2007/अग्रहायण 29, 1929

No. 1575]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 20, 2007/AGRAHAYANA 29, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2007

New Delhi, the 20th December, 2007

का.आ. 2167(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 (2007 का 39) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 20 दिसम्बर, 2007 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 53ग, धारा 53घ, धारा 53ड., धारा 53च, धारा 53छ, धारा 53ज, धारा 53झ, धारा 53ञ, धारा 53ट, धारा 53ठ और धारा 53ड प्रवृत्त होंगी।

S.O. 2167(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 1 of the Competition (Amendment) Act, 2007 (39 to 2007), the Central Government hereby appoints the 20th day of December, 2007 as the date on which Sections 53C, 53D, 53E, 53F, 53G, 53H, 53-I, 53J, 53K, 53L and 53M of the said Act shall come into force.

[फा. सं. 5/2/2007-सीएल-V]

[F.No. 5/2/2007-CL-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.